न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2008	15—05—2008	15—03—2018

1—श्री ओमप्रकास शर्मा पुत्र श्री बन्सीधर शर्मा

2— श्री योगेश चन्द जोशी पुत्र श्री शिम्भू दयाल जाशी जाति ब्राहम्ण निवासियान ग्राम बालेटा उपतहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर

निगरानीकार

बनाम

1—श्री रामजीलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण मृतक

1/1— श्रीमति दुर्गा देवी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण

1/2— श्री माधोप्रसाद पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण

1/3— श्री सुखनन्दन शर्मा पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासियान ग्रम बालेटा उपतहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर

1/4— श्री प्रभूदयाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण हाल सेवारत पटवारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर नि0 मानसरोवर संस्कृत कॉलेज के पास, जयपुर

1/5— श्री राजनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण हाल सेवारत एस, डी. एम. बयाना जिला भरतपुर राज0।

1'/6— श्री ऋतुराज शर्मा प पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण हाल सेवारत कनिष्ठ न्यायिक सहायक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर राज0

1/7— श्री लवराज शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा नि0 ग्राम पोस्ट बालेटा उपतहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर एडवोकेट न्यायालय परिसर अलवर

1/8— श्रीमति गिन्दोदेवी पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा पत्नी श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम डहरा तहसील व जिला अलवर

1/9— श्रीमति लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा पत्नी श्री ज्ञानचन्द शर्मा नि0 ग्राम पोस्ट सिकराय जिला दौसा हाल सेवारत कानूनगो दौसा जिला दौसा

1/10— श्रीमति मीरादेवी पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा पत्नी श्री मुकेश चंद जैमन नि0 ग्राम पोस्ट टहला तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अनिगरानीकार

प्रार्थनापत्र निगरानी विरूद्व आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण दिनांक 03.03.2006

उपस्थितः—

01. श्री सोहनलाल शर्मा —वकील निगरानीकार

02 श्री कृष्ण कुमार राजजादा —वकील अनिगरानीकार

—:: निर्णय ::—

प्रार्थनापत्र निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण का आदेश दिनांक 03.03.2006 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र...) अलवर (राज0)

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण का आदेश दिनांक 03.03.2006 खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड मनमाने तरीके से पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। गैरनिगरानीकार द्वारा तथाकथित बाडा उसकी पुश्तैनी जायदाद नही है, बल्कि लावारिस भूमि है, जो पहाड़ कि तलहटी में आबादी क्षैत्र में है, जिस पर अनिगरानीकार ने नाजायज कब्जा कर रखा है। कुछ समय पूर्व विवादित गेट हमारी गली में नाजायज तरीके से लगाया गया तो हमने ग्राम पंचायत बालेटा में उक्त गेट को वहां से हटाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत बालेटा ने उक्त गेट को अवैध पाया ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.04.1998 द्वारा उक्त गेट को सात दिवस के अन्दर हटाकर सूचित करने ओर गेट नही हटाने पर 100 रू जुर्माना किया जाना ओर जुर्माना अदा नही करने पर 10 रू प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी आरोपित करने का आदेश दिया। वर्तमान सरपंच द्वारा अनिगरानीकार से मिलकर उक्त पत्रावली को पंचायत कार्यालय से गायब करा दिया गया। इससे यह स्पष्ट हैं, कि पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत की पत्रावली का बिना अवलोकन किये ही आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। विवादित गली पश्चिम से पूर्व जारी है, जिसका ढलान भी तरफ पूर्व की ओर है। पंचायत द्वारा नक्शा भी बनाया है, यह गली सामलाती गली है, जिसमें हमारे मकानों के जंगले व मोरियां जारी है। इस गली के तरफ उत्तर को निगरानीकार का का आवासिय मकान है, जो पहले कच्चा था, बाद में दिनांक 17'10.1965 को ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर पक्का बना लिया है। जिसकी नकल के लिए निगरानीकार द्वारा प्रार्थनापत्र लगाया गया है। उक्त पत्रावली पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नही होने के कारण नकल नही दी गई। उक्त पत्रावली को स्वार्थी लोगो ने पंचायत रिकार्ड से गायब करवा दिया गली के तरफ दक्षिण को निगरानीकार योगेश चंद का आवासीय मकान है, जो उसके पिता श्री शिम्भूदयाल द्वारा बनाया गया है। निगरानीकार के मकान का सदर गेट तरफ पूर्व को है। जिसमें होकर निगरानीकार अपने पशुओं को लाता ले जाता है। किन्तु फर्श पक्की होने के कारण पशुओं के फिसलने का डर बना रहता है। पहले भी एक गाय फिसल चुकी है। इसलिए निगरानीकार इस गली की ओर पिछले हिस्से में जो गेट है उसको खोलना चाहता है। जिससे पशुओं का आना–जाना सुगम हो सके। गैरनिगरानीकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.1997 को बाड़े में निमार्ण करने की स्वीकृति हेतू पंचायत में पेश किया उसी समय अनिगरानीकार ने उक्त गेट जबरन हमारी गली में बीच में लगा दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नही था। अनिगरानीकार ने नाजायज तरीके से यह गेट लगाकर हम निगरानीकार की सामलाती गली में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। पंचायत समिति ने भी जो आदेश में गेट के आगे की भूमि जो खाली पड़ी है। उसमें कोई तामीर ना की जाए, द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से उक्त गेट तक जो पिछे की गली की जमीन है, उसको अनिगरानीकार के हित में होना माना है। जबकी उसको पूरी गली के बारे में ही रैस्पॉडेन्ट को पांबद करना चाहिए था। उक्त गेट को वहां से हटाने ओर अपने बाडे के दरवाजे पर लगाने का निर्देश देना चाहिए था। पंचायत समिति द्वारा ना तो मेरे जवाब का अवलोकन किया गया ना ही ग्रम पंचायत बालेटा के आदेश का अवलोकन किया। अनिगरानीकार का यह कथन भी गलत है। की उसका पहले यहां लकडी का गेट लगा हो ओर बरसात से खराब होने के कारण उसने वहां ये गेट लगाया हो। सायलान द्वारा सामलाती गली इसलिए छोड रखी है, जिससे घर का गंदा पानी उक्त मोरियों से निकल जाए। जिसको अनिगरानीकार ने उक्त गेट लगाकर अवरूद्व कर दिया है। गैरनिगरानीकार द्वारा उक्त नाजायज गेट लगाने से पानी के बहाव में अवरोध पैदा होगा जिससे मकानों को नुकसान पहुंचेगा। पानी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

का निकास नही होने के कारण गंदा पानी इक्कठा होगा, बदबू व मच्छर पैदा होगें। विवादित गली सामलाती है। जिसमें अनिगरानीकार को हमारी इच्छा के विरूद्व कोई लोहे का गेट लगाने का अधिकार नही है। निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण के आदेश दिनांक 03.03.2006 व प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 03.03.2006 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अनिगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एव दस्तावजी साक्ष्य के आधार पर विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय पारित किया है। निगरानीकार प्रस्तुत निगरानी में यह बताने में असफल रहा हैं, कि अधिनस्थ न्यायालय में अपना निर्णय देने में क्षेत्राधिकार के उपयोग करने में विफल रहा हो। निगरानीकार ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.1998 में जो पक्षकार थे उन सभी को निगरानी में पक्षकार नही बनाया जिस कारण निगरानी खारीज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2006 में ग्राम पंचायत बालेटा पक्षकार है। लेकिन निगरानीकार द्वारा उसे भी पक्षकार नही बनाया गया है। अनिगरानीकार का बाडा व रिहायस मौके पर स्थित है। अनिगरानीकार के बाडे व रिहायस के अगल–बगल दो मकान है। जिन मकानों के कोई दस्तावेज खिड़की अनिगरानीकार के बाडे व उस बाडे के आगे की खाली भूमि की ओर निकले हुए नही है। वह भूमि अनिगरानीकार के बाडे व रिहायस के काम ही आ रही है। जिस पर मात्र अनिगरानीकार का अपना गेट लगा हुआ है। जब निगरानीकार की सम्पति ही अन्दर नही है तो उसके पशुओं को अन्दर लाने का तथ्य मिथ्या है। अनिगरानीकार के बाड़े व रिहायस की जायदाद में आवारा पशुओं व सुअर आदि के घुस जाने तथा अन्य कोई उत्पाती व्यक्ति के घुस जाने का अपराध ना हो सके व गंदगी व न्यूसेन्स पैदा ना हो, इसलिए गेट बनाया हुआ है। मौका कमिशनर द्वारा मौका स्थिति में सामलाती या नासामलाती शब्द का विवेचन बिना आधार के किया है। मौका रिपोर्ट में मौके की सही स्थिति को ना दर्शाकर गेट जिसमें किवाड़ खुले हुए थे, को ही अदालत के आदेश को प्रभावित करने की गरज से उसे वहां से हटाने के लिए लिख दिया गया है। मौका कमिशनर द्वारा यह भी गलत लिखा है, कि रास्ता संकड़ा कर दिया है। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्षों की बहस उपरांत निष्कर्ष है, कि विवाद का मुख्य कारण गली (रास्ता) में गेट है अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकार को आदेश दिया जाता है की विवादित गली में लगायें गये गेट को अविलम्ब हटाऐं तथा किसी भी प्रकार का निमार्ण गली में नही करें। तथा ग्राम पंचायत बालेटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.1998 की अविलम्ब पालना करें। निर्णय की पालना नहीं करने पर गैरनिगरानीकार पर ग्राम पंचायत जुर्माना लगाए तथा पुलिस जाप्ते की सहायता से गेट अविलम्ब हटवाने की कार्यवाही करे।

यहां पर यह भी उल्लेख करना न्यायोचित है, कि यह सामलाती गली है, तथा उभयपक्षों के आवागमन के लिए उपयोगी है। अतः गली/रास्ता खुला रखना तथा साफ–सुथरा रखना उभयपक्षों की जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित किया जावें तथा निर्णय की पालना ग्राम पंचायत सुनिश्चित करे।

उक्तानुसार निगरानी स्वीकार कर निर्णित की जाती है। निर्णय की पालना हेतु ग्राम पंचायत बालेटा को लिखा जावें तथा प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी अलवर, तहसीलदार मालाखेड़ा व थानाधिकारी मालाखेड़ा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)